भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5199
दिनांक 24.03.2026 को उत्तरार्थ

सरपंच पति की प्रथा

†5199. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में पुरुषों द्वारा "सरपंच पति" अथवा "प्रोक्सी" सरपंच के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की प्रथा पर किस प्रकार रोक लगाई गई है;

(ग) ऐसी घटनाओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया/शिकायत तंत्र क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) किसी व्यक्ति को 'प्रोक्सी' सरपंच के रूप में कार्य करते हुए पाए जाने पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी प्रथाओं को रोकने में राज्य सरकारों और सिविल सोसाइटी संगठनों जैसे विभिन्न पणधारियों की क्या भूमिका है;

(च) इस मुद्दे पर फरवरी, 2025 में प्रस्तुत की गई सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(छ) पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) आरजीएसए के लिए अब तक के बजट का कितना उपयोग किया गया है और आरंभिक बजट परिव्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (च) "पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इसलिए, विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में सरपंच पति या

पुरुषों द्वारा प्रॉक्सी सरपंच से संबंधित कोई भी मुद्दा, जिनमें ऐसी प्रथाओं को रोकने का तरीका, ऐसी घटनाओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया/शिकायत तंत्र, प्रॉक्सी सरपंच के रूप में किसी को कार्य करते हुए पाए जाने पर दंड लगाना, ऐसी प्रथाओं को रोकने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका तय करना आदि भी शामिल हैं, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने सितंबर 2023 में एक सलाहकार समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा महिला प्रधानों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे और प्रॉक्सी प्रथाओं से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना था। समिति ने फरवरी 2025 में अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की, जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में सरपंच पतियों की प्रथा को समाप्त करने और महिला सरपंचों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अभियान, कानूनी सुधार, निगरानी और योजनाओं जैसे आवश्यक उपाय करें। इस मामले की महत्ता और पीआरआई में महिला नेतृत्व पर इसके प्रभाव को देखते हुए, इस मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2025 को एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है।

पंचायती राज मंत्रालय,समय-समय पर,राज्यों को सरपंच पति के मामले का समाधान करने के लिए परामर्शिकाएं भी जारी करता रहता है। हाल ही में, इस मामले पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 05.03.2026 को एक परामर्शिका जारी की गई है।

(छ) से (ज)इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि (डब्ल्यूईआर) भी शामिल हैं, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमता विकसित कर सकें और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (28 फरवरी 2026 तक) के दौरान कुल 30,94,748 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी नेतृत्व की प्रथा को प्रभावी ढंग से रोकने और महिलाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना है, जिससे महिला नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा मिल सके। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के विशेष मॉड्यूल के अंतर्गत, दिनांक 28.02.2026 तक 1,05,966 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

संशोधित आरजीएसए का वित्तीय परिव्यय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 5911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक संशोधित आरजीएसए के तहत जारी और उपयोग की गई वर्ष-वार धनराशि (दिनांक 28.02.2026 तक) इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

	2022-23		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26 (28.02.2026तक)**	
	जारी की गईं धनराशि	उपयोग की गईं धनराशि	जारी की गईं धनराशि	उपयोग की गईं धनराशि	जारी की गईं धनराशि	उपयोग की गईं धनराशि	जारी की गईं धनराशि	उपयोग की गईं धनराशि
कुल	682.98	1141.03	814.86	1319.68	694.17	1375.34	752.03	1008.71

धनराशि के उपयोग में केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा और पिछले साल की बची हुई धनराशि शामिल होती है। जारी की गई धनराशि में सिर्फ़ केंद्र का हिस्सा शामिल होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, जारी की गई धनराशि में 30 जून 2025 तक SNA के ज़रिए और 1 जुलाई 2025 से SNA-SPARSH के माध्यम से दी गई धनराशि शामिल है।
